# FAQ

## 1. सतत् विकास क्या है?

सतत् विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है तथा जो विकास के लिये जो भविष्य की पीढियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करने पर जोर देता है। इसके केन्द्र में न्याय संगत एवं समावेशी समाज और लोग है।

## 2. एजेण्डा 2030 क्या है?

सहस्त्राब्दि विकास गोल्स की सफलता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) महासभा ने 25 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपने 70वें सत्र में, **''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट''** शीर्षक वाले फ्रेमवर्क को अंगीकार किया।

यह एजेंडा लोगों, पृथ्वी एवं समृद्धि के लिए एक कार्य योजना है। यह अधिक स्वायत्ता के साथ सार्वभौमिक शांति को सशक्त करने का आह्वान करता है। यह रेखांकित करता है कि अत्यधिक गरीबी सहित गरीबी को उसके सभी रूपों में उन्मूलन करना आज सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है तथा यह सतत् विकास के लिये नितान्त आवश्यक है।

## 3. ग्लोबल गोल्स एवं सहस्त्रशताब्दी विकास लक्ष्यों में क्या भिन्नता है?

- सतत् विकास लक्ष्यों के 17 गोल्स एवं उनके 169 टार्गेट का क्षेत्र अधिक व्यापक है और गरीबी के मूल करणों एवं सभी लोगों के लिए काम आने वाले विकास की सार्वभैमिक आवश्यकता को संबोधित करते हुए एमडीजी से आगे बढ़ता है। जबकि एम.डी.जी के अन्तर्गत कुल 8 गोल्स एवं 18 टार्गेट हैं।
- एम.डी.जी. की सफलता को ओर गति प्रदान करने के लिये नए वैश्विक लक्ष्य असमानताओं, आर्थिक विकास, सम्मानजनक नौकरी, शहरों और मानव बस्तियों, औद्योगिकरण, महासागरों, पारिस्थितिक तेज, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन, शांति एवं न्याय आदि क्षेत्र को सम्मिलित किया गया हैं।
- एम.डी.जी सार्वभौमिक है और सभी देशों पर लागू होते हैं। एम.डी.जी. केवल विकासशील/अविकसित देशों के लिए प्रभावी थे। यह केवल सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते थे। एस.डी.जी. सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरण के साथ – साथ शांति, न्याय एवं सभी की साझेदारी को भी रेखांकित करते हैं।
- एसडीजी की एक प्रमुख विशेषता कार्यान्वयन के साधनों पर मजबूत ध्यान देना है– इसमें वित्तीय संसाधनों की क्षमता निर्माण और प्रोद्यौगिकी के साथ ही डेटा एवं संस्थान भी शामिल है।

## 4. 2030 एजेण्डा के 5 P's (पीज) क्या हैं?

**लोग (People)**: गरीबी एवं भुखमरी का उनके सभी स्वरूपों एवं आयामों में अंत करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्य स्वस्थ वातावरण में गरिमा एवं समानता सहित अपनी क्षमताओं का निर्वहन कर सके।

**ग्रह (Planet)**: सतत् उपभोग एवं उत्पादन के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन करना तथा जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्यवाही करने के साथ पृथ्वी को क्षरण से बचाना ताकि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

**समृद्धि (Prosperity)**: यह सुनिश्चित करना कि सभी मनुष्य समृद्ध और परिपूर्ण जीवन यापन कर सके एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य में आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय प्रगति होवे।

**शांति(Peace)**: भय और हिंसा से मुक्त, शांतिपूर्ण, न्यायशील और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देना क्योकि शांति के बिना सतत् विकास और सतत् विकास के बिना शांति नहीं हो सकती है।

**भागीदारी (Partnership)**: अत्यधिक निर्धन एवं सबसे वंचित की आवश्यकताओं पर केन्द्रित इस एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिये मजबूत वैश्विक एकजुटता की भावना तथा सभी देशों, हितधारको एवं लोगों की भागीदारी के आधार पर सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के हेतु आवश्यक उपायों को प्रभावी करना है।

## 5. सतत् विकास लक्ष्य–2030 एजेण्डा को लागू करने का उद्देश्य क्या है?

एजेण्डा का मुख्य उद्देश्य गरीबी और भूखमरी को उनके सभी आयामों में समाप्त करना, असमानता का अंत करना, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण ओर समावेशी समाजों का निर्माण करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और लैंगिक समानता एवं महिलाओं व लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह पृथ्वी (ग्रह) और इसके प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के साथ ही सदस्य राष्ट्रों के लिए स्थायी, समावेशी और निरंतर आर्थिक विकास, समृद्धि और अन्य काम के लिए स्थितियां बनाने के लिए भी साझा संकल्प लिया गया।

## 6 एजेण्डा–2030 में कितने गोल व लक्ष्य हैं?

एजेण्डा 2030 में 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 संबद्ध टार्गेट्स शामिल है।

## 7. सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति की मोनिटरिंग कैसी होगी?

वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा द्वारा सतत् विकास के लक्ष्यों को अपनाया गया है। महासचिव द्वारा वार्षिक (सतत् विकास प्रगति रिपोर्ट) प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा एवं उच्च स्तरीय पॉलिटिकल फॉर्म की वार्षिक बैठक द्वारा एस. डी.जी. की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

## 8. मैं इन लक्ष्यों (गोल्स) की प्राप्ति के लिए क्या योगदान कर सकता हूँ?

प्रत्येक व्यक्ति एस.डी.जी. की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अपना योगदान प्रदान कर सकता है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :–

1. अधिक से अधिक लोगों को ग्लोबल ग्लोस के बारे में बताएं ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान कर सके।
2. किसी गैर सरकारी/स्वैच्छिक/नागरिक संगठन से जुड़कर गोल्स को पूरा करने में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं।
3. अपनी दैनिक दिनचर्या/सामान्य कार्यकलापों में से सामान्य कचरे एवं पर्यावरण पर कार्बन पदचिह्न (फुटप्रिन्ट) को कम करे, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम करने मे सहयोग देवें यथा हवाई जहाज की जगह ट्रेन व कार की जगह बाइक का उपयोग करें। इससे कार्बन का उत्सर्जन कम करने में सहयोग मिलेगा।
4. उतरदायी उपभोग का बढावा देवे तथा सचेत होकर स्थानीय उत्पादों को खरीदें ओर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें। आप जो खरीदते हैं वह उचित और संवहनीय (टिकाऊ) तरीके से तैयार होता है।
5. करूणा की भावना रखें और जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ रहें।
6. कल्याण करने की हमारी क्षमताओं पर पृथ्वी एवं इस पर निवास करने वाले लोगो का भविष्य निर्भर करता है।
7. पृथवी, जलवायु, जेव विविधता एवं पर्यावरण सुधार को बढ़ावा देने वाले कार्यों को दैनिक कार्यकलापों का हिस्सा बनायें।

## 9. ग्लोबल गोल्स के लिये कोन जिम्मेवार है?

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को यथा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संगठन और आम जनता को अपने हिस्से के कार्य करने की आवश्यकता है।

ग्लोबल गोल्स कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 17 गोल को अर्जित करने के लिये सरकारों से आगे बढकर प्रभावी कार्यवाही करने और राष्ट्रीय ढाँचे को स्थापित करने में हुई प्रगति की समीक्षा कर प्राथमिकता देनी है।

## 10. भारत में एसडीजी का क्रियान्वयन प्रगति की मॉनिटरिंग किस के द्वारा की जा रही है?

देश में **नीति** आयोग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्य–2030 एजेण्डा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लक्ष्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिये MoSPI द्वारा 302 संकेतकों वाला नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) तैयार किया गया है।

## 11. राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क क्या है?

राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु एक फ्रेमवर्क है। जिसमें सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिये वर्तमान में कुल 302 संकेतक सम्मिलित किये गये है। साथ ही यह डेटा अंतराल (Data Gap) एवं उपलब्ध डेटा की उपलब्धता की आवर्ति आदि की पहचान करने में भी मदद करता है।

## 12. स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है?

सतत् विकास लक्ष्य 2030 को मॉनिटर करने के लिए जैसे सभी राष्ट्र अपने इंडिकेटर फ्रेमवर्क के लिए स्वतंत्र हैं ठीक उसी तरह MoSPI द्वारा सभी राज्यों की भी एसडीजी की मॉनिटरिंग करने के लिए स्वतंत्र रूप से एक अपना फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश दिया गया है। इस फ्रेमवर्क में राज्य अपनी प्राथमिकताओं एवं विषयों के संदर्भ में NIF के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार संकेतक सम्मिलित कर सकता है।

## 13. राज्य में एसडीजी का क्रियान्वयन कौन कर रहा है?

राज्य में सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेण्डा के क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग नोडल है तथा इसकी प्रगति की सामयिक समीक्षा हेतु समंकों का संकलन एवं एजेण्डे के स्थानीयकरण से संबंधित कार्य हेतु निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी में "Center for SDG Implementation" स्थापित किया जा रहा है।

## 14 एस.डी.जी. इण्डेक्स क्या है?

सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य इन्हें अर्जित करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ''इंडिया इण्डेक्स'' तैयार कर जारी किया जा रहा है। अब तक इसके दो प्रतिवेदन/संस्करण 1.0 एवं 2.0 जारी किये गये हैं। इसी अनुरूप राज्य में भी जिलों की प्रगति को मापने के लिए राजस्थान एस.डी.जी. इण्डेक्स जारी किया जा रहा है।

## 15. एस.डी.जी. इंडिया इण्डेक्स में राज्यों को कितनी श्रेणियां में विभक्त किया गया है?

एस.डी.जी. इंडिया इण्डेक्स में राज्यों को परिणाम/स्कोर के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है –

1. एस्पिरेंट : स्कोर 50 से कम।
2. परफॉर्मर : स्कोर 50 या 50 से अधिक लेकिन 65 से कम।
3. फ्रंटरनर,: स्कोर 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम।
4. एचीवर : एसडीआई स्कोर 100 के बराबर।

**16. राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में गठित सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स से क्या आशय हैं?**

राज्य में सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेण्डा को सफल क्रियान्वयन एवं लागू करने के लिए राज्य का रोडमैप एवं विजन प्रतिवेदन तैयार करने के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों एवं विषयों से संबंधित विभागो के अनुसार कुल 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है।

**17. सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स के मुख्य कार्य क्या हैं?**

राज्य में सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेण्डा के सफल क्रियान्वयन करने हेतु क्षेत्रवार रणनीति तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकता वाले मुद्दों का चिह्नितकरण करना, आवश्यक सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करना एवं उन्हें गति प्रदान करना तथा सभी स्तरों के कार्मिकों की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए है।

**18. एस.डी.जी. का स्थानीयकरण क्या होता है एवं राज्य में यह कैसे लागू किया जा रहा है?**

सतत् विकास लक्ष्यों की अवधारणा को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जिला/ब्लॉक/ग्रामपंचायत/ग्राम अथवा वार्ड स्तर तक इस एजेण्डों को लागू करना एवं इसका प्रचार–प्रसार करना स्थानीयकरण का एक भाग है। साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों को लागु किया जाना एवं नीति निर्धारण भी शामिल है।

**18. राज्य में एस.डी.जी. की प्रगति की समीक्षा करने के लिये गठित समिति से क्या आशय है?**

राज्य में सतत विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करने के लिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एसडीजी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की वर्ष में दो बैठके आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न विभागों के ACS/PS/Secy सदस्य एवं प्रभारी सचिव, आयोजना विभाग, सदस्य सचिव बनाये गये हैं।

**19. जिला स्तर पर एस.डी.जी. के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित एस.डी.जी. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव किसे नामित किया गया है?**

जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला एस.डी.जी. कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति का सदस्य सचिव संबंधित जिले में पदस्थापित उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को नामित किया गया है। विभिन्न सम्बद्ध विभागों के जिलाधिकारी इसमें सदस्य बनाये गये हैं।

**20. क्या राजस्थान एस.डी.जी. इण्डेक्स भी जारी किये गये हैं ?**

हाँ, राज्य में भी नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने तथा जिलो के मध्य इन्हें अर्जित करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजस्थान एस.डी.जी इण्डेक्स प्रतिवर्ष जारी किये जाते हैं। इसका प्रथम संस्करण राजस्थान एस.डी.जी.

इण्डेक्स 2020 वर्ष 2020 में जारी किया गया है। ये सूचकांक कुल 12 गोल्स के 31 संकेतकों पर आधारित है।

## 21. क्या कोविड–19 महामारी के कारण एसडीजी एजेण्डा भी प्रभावित हुआ हैं?

हाँ, वैश्विक स्तर पर फैली कोविड–19 महामारी के कारण लोगो के जीवन पर अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सामाजिक संकट आया है एवं आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1.6 बिलियन से अधिक छात्र स्कूल जाने से वंचित हो गये हैं और 10 मिलियन लोग वापस अत्यधिक गरीबी और भुखमरी की स्थिति में लौट आये हैं। जिसके कारण सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेण्डा के निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में वृद्धि हुई है। साथ ही एस.डी.जी. एजेण्डा को और अधिक प्रभावी एवं गतिशीलता से लागु करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

## 22. क्या विभागों एवं राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये पृथक से कोष/फण्ड उपलब्ध होगें?

सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पृथक से कोष/फण्ड उपलब्ध नही करवाये जा रहे हैं। इनके लिये वर्तमान में विभागों एवं राज्यों द्वारा चलायी जा रही योजनओं, नवाचारों एवं कार्यक्रमों को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाना है अथवा इनको सतत् विकास एजेण्डा से मैप किया जाकर अर्जित किया जाना है।